The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 6 | June 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

समकालीनता के परिप्रेक्ष्य में स्त्री सशक्तिकरण

डॉ0 हरिणी रानी आगर

शोध निर्देशक, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग)

प्रकाश कुमार त्रिपाठी

शोधार्थी, अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग), ईमेल - prakashkrtripathi@gmail.com

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.15861848

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 29-06-2025

Published: 10-07-2025

Keywords:

स्त्री सशक्तिकरण, शक्तिशाली समूह, शक्ति सन्तुलन

ABSTRACT

'सशक्तिकरण' शब्द में एक शब्द है जिसे 'शक्ति' कहा जाता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि सशक्तिकरण का सम्बन्ध शक्ति से है और शक्ति के सन्तुलन में परिवर्तन होता है। शक्ति का सम्बन्ध प्राय: हमारी योग्यताओं, क्षमताओं, पदों से होता है जिससे हम लोगों को इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि वे हमारे निर्णय को अपना लेते हैं चाहे वे उससे सहमत हों या न हों । प्रत्येक समाज में शक्तिशाली और शक्तिहीन समूह होते हैं, समूहों और व्यक्तियों के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों में शक्ति का उपयोग किया जाता है। शक्ति अक्सर संसाधनों और धारणाओं पर नियंत्रण को संदर्भित करती है। जिन संसाधनों को अक्सर शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑक्सकार्ड डिक्शनरी के अनुसार – "सशक्तिकरण का अर्थ है किसी व्यक्ति को कार्य करने की सत्ता प्रदान या शक्ति देना। उसमें ऐसी योग्यताओं और क्षमताओं का निर्माण करना होगा कि व्यक्ति कोई भी कार्य करने में समर्थ हो सके।" इस दृष्टिकोण से स्त्री सशक्तिकरण में भी हम उसी क्षमता की बात कर रहे हैं, जहाँ महिलाएँ परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद हों। स्त्री सशक्तिकरण आज के युग में विकास और अर्थशास्त्र में चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है। क्योंकि प्राचीन काल से यह देखा जा रहा है, कि समाज में महिलाओं को पुरुषों के समक्ष तुच्छ समझा जाता था तथा सती प्रथा, दहेज़, हत्या जैसी बहुत सी कुरीतियाँ समाज में

फैली हुई थी। ऐसे में महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि संदर्भ में सशक्त बनाना अनिवार्य बन चुका है। यद्यपि वर्तमान समय में स्त्री सशक्तिकरण के कुछ ऐसे भी पहलू देखें जा रहे हैं जो अत्यंत विचारणीय है।

विषय प्रवर्तन :-

वैश्विक स्तर पर दृष्टिपात करें तो स्त्री आंदोलन की नींव 19 वीं शताब्दी में ही रखी गई। पश्चिम के कई राष्ट्र उस दौर में इस आंदोलन में भागीदार बने। स्त्री आंदोलन जब सामने आए तब ही स्त्री सशक्तिकरण की एक अवधारणा दुनिया के समक्ष प्रमुखता से आई। अमेरीका के शहरी, उदारवादी और औद्योगिक माहौल में स्त्रियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना इसका पहला उद्देश्य था। दूसरी लहर साठ के दशक से शुरू हुई मानी जाती है। इसमें यह पहचान की गयी कि कानून व वास्तविक असमानताएं दोनों आपस में जटिलता पूर्वक जुड़ी हुई हैं एवं इसे दूर किया जाना चाहिए। तीसरी लहर नब्बे के दशक से प्रारंभ होती है। यह द्वितीय लहर की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुई।

भारत अपने ऐतिहासिक सांस्कृतिक साहित्यिक परिश्यों के कारण पूरे विश्व में ख्यातिलब्ध बना रहा है। यहां स्त्री को सशक्त करने की दिशा में नारी आंदोलनों का दूसरा दौर जो लगभग भारत में गांधी के आगमन के साथ आरंभ होता है वह 1915 से आरंभ हुआ माना जाता है। ये वो दौर था जब महिलाएं एक आह्वान पर सक्रिय रूप से भागीदारी कर रही थीं। यह वही दौर है जब 1917 में भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। डॉ. अंबेडकर ने स्पष्ट रुप में कहा था कि - "यदि किसी समाज की प्रगति के बारे में सही-सही जानना है तो उस समाज की स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानो।" जबकि सिमोन द बोउवार का कथन है- "स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है।" वर्तमान समय में स्त्री सशक्तिकरण का क्षेत्र काफी व्यापक हो गया है। अतः इसके विभिन्न आयामों को इस प्रकार देखा जा सकता है-

सामाजिक सशक्तिकरण :

स्त्री सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है क्योंकि यह वह आधार बनाता है जिस पर स्त्री सशक्तिकरण के अन्य सभी आयाम टिके हुए हैं। स्त्रिओं को सामान्य रूप से दुनिया भर में और विशेष रूप से भारत में लंबे समय से सामाजिक असमानताओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि भारत की बात करें तो जाति व्यवस्था, सती जैसी बुरी प्रथाएं, पितृसत्तात्मक सामाजिक दृष्टिकोण, बहुविवाह आदि स्त्रियों के प्रति व्यापक रूप से प्रचलित दुर्व्यवहार हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें पुरुषों पर अत्यधिक निर्भर समाज में द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना दिया गया है। स्त्रियों के सामाजिक सशक्तिकरण का उद्देश्य महिलाओं को उनके स्वास्थ्य, परिवार, विवाह, प्रसव आदि सहित विभिन्न सामाजिक पहलुओं के संबंध में निर्णय लेने में स्वतंत्र बनाना है।

शैक्षिक सशक्तिकरण :

शिक्षा हमारी सभ्यता का आधार है। यह सबसे प्रमुख पहलू है जो किसी के व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन की दिशा तय करता है। विडंबना यह है कि स्त्रियों को लंबे समय तक शिक्षा प्राप्त करने से दूर रखा गया और उन्हें घर के काम करने के लिए ही बनाया गया। आज स्त्रियों को गुणवत्तापूर्ण सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि उन्हें आज के समाज में समान और सम्मानजनक सामाजिक और आर्थिक स्थिति प्राप्त करने में मदद मिल सके। भारत को देश भर में विशेष रूप से राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में, औसत से कम महिला साक्षरता दर की समस्या का समाधान करना होगा तथा केरल जैसे दक्षिणी भारतीय राज्यों के महिला शिक्षा मॉडल को बढ़ावा देना होगा। एक स्त्री को शिक्षित करने से न केवल उसका निजी जीवन बदलता है, बल्कि उसके पूरे परिवार का जीवन भी बदल जाता है। शिक्षित स्त्रियाँ अपने अधिकारों और कर्तव्यों को बेहतर ढंग से समझती हैं और इसलिए राष्ट्र निर्माण में भी योगदान दे सकती हैं।

आर्थिक सशक्तिकरण :

आज के समाज में पैसा सभी शारीरिक और भौतिक आवश्यकताओं का आधार है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र स्त्रियां आर्थिक रूप से विकसित समाज की पथ प्रदर्शक हैं। स्त्रियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उन्हें काम करने के समान अवसर और बाजार तक बेहतर पहुंच प्रदान करना आवश्यक है। ये बेहतरीन प्रबंधक होती हैं और उनकी प्रबंधन क्षमता व्यवसाय में चमत्कार कर सकती है। देश में आज भी कामकाजी स्त्रियों को अस्वीकार्य माना जाता है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र स्त्रियां शिक्षा और जीवन शैली सहित अपने जीवन के अन्य निर्णय बेहतर और अधिक दृढ़तापूर्वक ले सकती हैं।स्त्रियों का आर्थिक सशक्तिकरण भारत के 2023 G20 एजेंडे का एक अभिन्न अंग है।

राजनीतिक सशक्तिकरण :

राजनीति को व्यापक रूप से सामाजिक परिवर्तन का एक साधन माना जाता है। उच्च स्तर पर सक्रिय राजनीति में अधिक स्त्रियों के प्रवेश से स्त्री सशक्तिकरण की प्रक्रिया में तेजी आएगी क्योंकि एक स्त्री समाज में सभी स्त्रियों की स्थिति और आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझ सकती है। इसलिए स्त्रियों से संबंधित नीति निर्माण के बारे में बेहतर निर्णय लेने की संभावना है। इसके अलावा, महिला राजनेता संसद, विधानसभाओं और विभिन्न अन्य सार्वजनिक मंचों पर महिलाओं से संबंधित मुद्दों को सक्रिय रूप से उठा सकती हैं। पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में स्त्रियों के लिए एक तिहाई आरक्षण एक स्वागत योग्य कदम है। परन्तु राजनीतिक मंचों पर स्त्रियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने और उनके राजनीतिक सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए संसद में लंबित महिला आरक्षण विधेयक को पारित करके विधायिका और संसद में महिला आरक्षण लागू करने की तत्काल आवश्यकता है।

स्त्री सशक्तिकरण की आवश्यकता :-

भारतीय संदर्भ में स्त्री सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुविध से कारण परिलक्षित होते हैं -

i) आधुनिक युग में कई भारतीय स्त्रियाँ कई सारे महत्वपूर्ण राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं, फिर भी सामान्य ग्रामीण स्त्रियाँ आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य है और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध नही है।

ii) शिक्षा के मामले में भी भारत में महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा काफी पीछे हैं। भारत में पुरुषों की शिक्षा दर 81.3 प्रतिशत है, जबकि महिलाओं की शिक्षा दर मात्र 60.6 प्रतिशत ही है।

iii) भारत के शहरी क्षेत्रों की महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के अपेक्षा अधिक रोजगारशील है, आकड़ो के अनुसार भारत के शहरों में साफ्टवेयर इंडस्ट्री में लगभग 30 प्रतिशत महिलाएँ कार्य करती है, वही ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90 फीसदी महिलाएँ मुख्यतः कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में दैनिक मजदूरी करती है।

iv) भारत में नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता का एक और मुख्य कारण भुगतान में असमानता भी है। एक अध्ययन में सामने आया है कि समान अनुभव और योग्यता के बावजूद भी भारत में महिलाओं को पुरुषों के अपेक्षा 20 प्रतिशत कम भुगतान दिया जाता है।

v) हमारा देश काफी तेजी और उत्साह के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसे हम तभी बरकरार रख सकते है, जब हम लैंगिक असमानता को दूर कर पाए और महिलाओं के लिए भी पुरुषों के तरह समान शिक्षा, तरक्की और भुगतान सुनिश्चित कर सके।

vi) भारत की लगभग पचास प्रतिशत आबादी केवल स्त्रियों की है मतलब, पूरे देश के विकास के लिए इस आधी आबादी की जरुरत है जो कि अभी भी सशक्त नहीं है और कई सामाजिक प्रतिबंधों से बंधी हुई है। ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते कि भविष्य में बिना हमारी आधी आबादी को मजबूत किए हमारा देश विकसित हो पायेगा।

vii) स्त्री सशक्तिकरण की जरुरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्राचीन समय से भारत में लैंगिक असमानता थी और पुरुषप्रधान समाज था। महिलाओं को उनके अपने परिवार और समाज द्वार कई कारणों से दबाया गया तथा उनके साथ कई प्रकार की हिंसा हुई और परिवार और समाज में भेदभाव भी किया गया ऐसा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी दिखाई पड़ता है।

viii) भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान देने के लिये माँ, बहन, पुत्री, पत्नी के रुप में महिला देवियों को पूजने की परंपरा है लेकिन आज केवल यह एक ढोंग मात्र रह गया है।

ix) पुरुष पारिवारिक सदस्यों द्वारा सामाजिक राजनीतिक अधिकार, काम करने की आजादी, शिक्षा का अधिकार आदि) को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया।

स्त्री सशक्तिकरण की चुनौतियाँ :

भारत में स्त्री सशक्तिकरण को कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जो समाज में समानता और पूर्ण भागीदारी की दिशा में उनकी प्रगति में बाधा डालती हैं। भारत सहित दुनिया के कई देशों में स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ है, परंतु सशक्तिकरण की राह में आज भी अनेक प्रकार की चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ :

भारतीय समाज आज भी परंपराओं, रीति-रिवाजों और रूढ़ियों से बँधा हुआ है। अधिकांश समुदायों में लड़कियों को बोझ समझा जाता है और उनका पहला उद्देश्य केवल विवाह कर देना होता है। समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक सोच महिलाओं की स्वतंत्रता, निर्णय लेने की क्षमता और उनके व्यक्तित्व के विकास में अवरोध उत्पन्न करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी 'लड़का चाहिए' की मानसिकता हावी है, जिससे कन्या भ्रूण हत्या जैसी अमानवीय घटनाएँ जन्म लेती हैं।

शिक्षा की कमी :

स्त्रियों के सशक्तिकरण की बुनियाद 'शिक्षा' है, परंतु भारत के कई हिस्सों में अभी भी लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बाद लड़कियों की पढ़ाई रोक दी जाती है। महिलाएँ जब तक शिक्षित नहीं होंगी, वे अपने अधिकारों, कर्तव्यों और कानूनों से अवगत नहीं हो पाएँगी, और तब तक वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी आगे नहीं बढ़ पाएँगी।

आर्थिक निर्भरता :

आज भी बड़ी संख्या में महिलाएँ आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर हैं। स्वरोज़गार, नौकरियों और व्यापार में महिलाओं की भागीदारी सीमित है। यदि महिलाएँ काम भी करती हैं, तो उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है। इसके अलावा, महिलाएँ घरेलू कार्यों में संलग्न रहती हैं, जिसकी कोई आर्थिक मान्यता नहीं होती। कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर भी भेदभाव, यौन उत्पीड़न और असमान अवसरों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक प्रगति बाधित होती है।

स्त्री सुरक्षा व हिंसा :

स्त्रियों के खिलाफ होने वाली हिंसा स्त्री सशक्तिकरण की सबसे बड़ी चुनौती है। घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, यौन शोषण, मानव तस्करी, बाल विवाह और बलात्कार जैसी घटनाएँ महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाती हैं। आज भी कई महिलाएँ इन अपराधों को सामाजिक बदनामी और न्याय प्रणाली में कठिनाई के कारण छुपा जाती हैं। जब तक स्त्रियाँ सुरक्षित नहीं होंगी, तब तक वे आत्मविश्वास से आगे नहीं बढ़ पाएँगी।

राजनीतिक भागीदारी में कमी :

भारतीय संविधान स्त्रियों को राजनीतिक अधिकार देता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ग्राम पंचायतों में आरक्षण के बावजूद महिलाओं की भागीदारी केवल औपचारिक होती है। अनेक मामलों में पुरुष ही उनके स्थान पर निर्णय लेते हैं। राज्य और केंद्र की राजनीति में महिलाओं की संख्या अब भी सीमित है। जब तक वे नीति-निर्माण और नेतृत्व के स्तर पर भाग नहीं लेंगी, तब तक सशक्तिकरण अधूरा रहेगा।

कानूनी अधिकारों का अभाव :

भारतीय संविधान और कानूनों में स्त्रियों को अनेक अधिकार दिए गए हैं - जैसे समान वेतन का अधिकार, संपत्ति में अधिकार, दहेज निषेध अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कानून आदि। लेकिन अनेक महिलाएँ इन अधिकारों से अनभिज्ञ रहती हैं। विशेषकर अशिक्षित और ग्रामीण महिलाएँ कानूनी जानकारी के अभाव में अपने साथ हो रहे अन्याय को सहन करती रहती हैं।

मानसिक-आत्मिक सशक्तिकरण की कमी :

स्त्रियों को सिर्फ शिक्षा, धन और कानून की जानकारी ही नहीं, बल्कि आत्मबल की भी ज़रूरत होती है। समाज ने महिलाओं में यह भावना भर दी है कि वे कमजोर, निर्भर और पुरुषों से कमतर हैं। इस मानसिकता को तोड़ना जरूरी है, ताकि स्त्रियाँ आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ खड़ी हो सकें।

मीडिया और समाज में स्त्री छवि :

विज्ञापन, टीवी सीरियल और फिल्मों में आज भी महिलाओं को प्रायः उपभोग की वस्तु या परंपरागत भूमिकाओं तक सीमित दिखाया जाता है। इससे युवा पीढ़ी में स्त्रियों को लेकर गलत धारणाएँ बनती हैं, और सशक्तिकरण की दिशा में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

स्त्री सशक्तिकरण और संवैधानिक प्रावधान :-

भारतीय संदर्भों में देखा जाए तो यहां संसद द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं -

i) अनैतिक यातायात (रोकथाम) अधिनियम, 1956
ii) दहेज निषेध अधिनियम, 1961
iii) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
iv) गर्भावस्था अधिनियम का अंत, 1971
v) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
vi) सती आयोग (रोकथाम) अधिनियम, 1987
vii) प्री-कॉन्सेशेशन एंड प्री-नेटाल डायग्नॉस्टिक टेक्निक्स (विनियमन और निवारण) अधिनियम, 1994

viii) बाल विवाह अधिनियम, 2006 का निषेध

ix) कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (रोकथाम और संरक्षण) अधिनियम, 2013

निष्कर्ष :

महिला सशक्तिकरण न केवल लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत की प्रगति और विकास के लिए भी उत्प्रेरक है। जिस तरह से भारत आज दुनिया के सबसे तेज आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। भारतीय समाज में सच में महिला सशक्तिकरण लाने के लिए महिलाओं के विरुद्ध बुरी प्रथाओं के मुख्य कारणों को समझना और उन्हें हटाना होगा जो समाज की पितृसत्तामक और पुरुष युक्त व्यवस्था है। यह बहुत आवश्यक है कि हम महिलाओं के विरुद्ध अपनी पुरानी सोच को बदलें और संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानों में भी बदलाव लाए। भले ही आज के समाज में कई भारतीय महिलाएँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, वकील आदि बन चुकी हो, लेकिन फिर भी काफी सारी महिलाओं को आज भी सहयोग और सहायता की आवश्यकता है। अस्तु वर्तमान में नारी ने रुढ़िवादी बेड़ियों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया है जो बड़े बदलाव का संकेत है। लेकिन ये बदलाव कुछ मामले में पारिवारिक विघटन रूप में देखे जा रहें जो भविष्य में विभिन्न चिंताओं की ओर संकेत कर रहे हैं।

संदर्भ सूची :-

1) चटर्जी, डॉ. रमा, 'भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति' (2012), प्रकाशन संस्थान दिल्ली, पृष्ठ – 12-16

2) सिंह, प्रज्ञा, 'भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध जर्नल'खंड -12, (2020), पृष्ठ – 38

3) डा. बाबासाहेब आंबेडकर: राइटिंग्स एवं स्पीचेस, वॉल्यूम 17, पृष्ठ 282

4) मनीश चन्द्र, महिला सशक्तिकरण में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का योगदान, टाइम्स पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2015, पृ. 284